



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-661

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 303971 दिनांक 19/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Suresh Kumar Kedia S/o PRAHLAD RAI KEDIA	पुष्पा देवी केडिया पत्नी सुरेश केडिया	9	270.00 SQ. METER	JDA	CENTRAL SPINE Sector/Block-E	Name Transfer	जविप्रा की योजना सेन्ट्रल स्पाईन के भूखण्ड संख्या ई-9 क्षेत्रफल 270.00 व.मी. का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा विलेख दिनांक 23.07.2022 को पुष्पा देवी केडिया पत्नी सुरेश केडिया के नाम से जारी किया गया है। आवेदक द्वारा अपलोड दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 20.02.2026 को मूल भूखण्ड स्वामी पुष्पा देवी केडिया पत्नी सुरेश केडिया का निधन हो गया है। आवेदक द्वारा अपलोड शपथ पत्र अनुसार मूल भूखण्ड स्वामी के वारिसान निम्नानुसार हैं:- 1. सुरेश कुमार



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								केडिया, पति 2. उमेश केडिया, पुत्र 3. श्वेता केडिया, पुत्री है। तत्पश्चात् जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 18.06.2026 को उमेश केडिया एवं श्वेता खण्डेलवाल द्वारा अपना अविभाजित हिस्सा सुरेश कुमार केडिया के पक्ष में कर दिया गया। आवेदक द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है। सीपीआरएमएस पर उपलब्ध रिका र्ड अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा विलेख दिनांक 23.07.2022 को पुष्पा देवी केडिया पत्नी सुरेश केडिया के के नाम से जारी होना दर्ज है। प्रकरण मृत्यु से संबंधित होने के कारण प्रकरण में विज्ञप्ति जारी किया जाना प्रस्तावित है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Suresh Kumar Kedia S/o PRAHLAD RAI KEDIA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।